संख्याः 275/VII-2/07/03–खादी/2006

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 13 फरवरी, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4355/उ0नि0(08)/यू0नि0/2006–07 दिनांक 17 जनवरी, 2007 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 2477/भूमि–भवन/पी0यू0सी0/उ0खा0ग्रा0बो0/2006–07 दिनांकः 10 जनवरी, 2007 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु आयोजनागत फा के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम हेतु भवन निर्माण योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 465.00 लाख के सापेक्ष्य शासनादेश संख्या 1126/VII-2/03–खादी/2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में आपके निवर्तन पर रखी गयीरू0 65.80 लाख की धनराशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2006–07 में द्वितीय किस्त के रूप में रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण कर खादी बोर्ड के माध्यम से निर्माण एजेन्सी को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लघंन होता हो यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपयोग भवन निर्माण/आवास संबंधित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 1126/VII-2/03–खादी/2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 में इंगित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4– वर्षान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो दिनांक 31.03.2007 तक शासन का समर्पित किया जायेगा। व्यय उन्हीं योजना/कार्यों पर किया जाय जिन कार्यों हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–23, मुख्य लेखाशीर्षक 4851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग, 06–उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन निर्माण–00, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 2140/XXVII(2)/2007 दिनांक 02 फरवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 276(1)/VII-2/07/03–खादी/2006
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।